निर्वाचन सामग्री की तैयारियां हुई पूरी, सुबह से होगा वितरण

मोती गार्डन चौक से जागपुर और गायखुरी का आवागमन पूर्णतः होगा बन्द

बालाघाट (स्वतंत्र मत)।

आम लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान दलों को सामग्री वितरित की जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने इसकी पूरी तैयारी ली है। मतदान दलों में शामिल दलों के अधिकारियों के लिए सामग्री प्राप्त करने में कोई समस्या न हो इसके लिए हर विधानसभा का कलर कोडिंग की गई है।

साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा गुरुवार के लिए यातायात प्रबंधन के सम्बंध में पार्किंग, आवागमन और डायवर्सन के सम्बंध में निर्देश जारी किए है। सामग्री वितरण और कम्युनिकेशन तथा मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बंध में भी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा व स्वीप नोडल अधिकारी डीएस रणदा ने सीईओ व सीएमओ के साथ बुधवार को दोपहर में गूगल मीट के माध्यम से निर्देश जारी किए है।

बैहर के लिए हल्का हरा, बालाघाट का सफेद रंग निर्धारित

सामग्री वितरण में कोई असुविधा नही हो इसके लिए हर विधान सभा का अलग अलग रंग निर्धारित किया गया है। जिससे मतदान दलों को कोडिंग के द्वारा आसानी होगी कि उन्हें किस विधानसभा और किस ओर से जाने में सुविधा होगी। बैहर विधानसभा को हल्का हरा, लांजी को लाल, परसवाड़ा का नीला, बालाघाट का सफेद, कटंगी का पीला और वारासिवनी का पिंक कलर कोड किया गया है।

शहर में भारी वाहन प्रवेश नही होंगे

पुलिस विभाग द्वारा जारी यातायात, पार्किंग व डायवर्सन के प्लान के अनुसार शहर में भारी वाहन प्रवेश न कर बैहर रोड़-बायपास सरेखा- नवेगांव- डेंजर रोड़ होकर आवागमन करेंगे। लांजी- गोंदिया आने जाने वाली बसे बैहर रोड़ होकर सरेखा बायपास से बस स्टैंड आना जाना करेंगी। वही अम्बेडकर चौक मोती गार्डन चौक से गुरुद्वारा चौक तक भारी वाहन/बस प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह मोती गार्डन चौक से जागपुर घाट व गायखुरी तक आवागमन पूर्णतः बन्द रहेगा। इसके अलावा पार्किंग स्थल भी चयन किये गए है। उच्च अधिकारियों के वाहनों की पार्किंग पॉलीटेकनिक कॉलेज के सामने, अधिकारियों एआरओ और सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए पॉलीटेकनिक छात्रवास, सामग्री वितरण में लगे अधिकारी व मतदान अभिकर्ताओं के लिए पॉवर हॉउस, मीडिया के लिए गायखुरी रोड़ टेम्भरे मैदान में तथा चुनाव में लगे पुलिस बल सशस्त्र बल को लेकर आने वाली बसे मोती नगर चौक पर उतार कर वाहनों व बसों को सरस्वती नगर रोड़ के किनारे बायीं ओर पार्क होगी।

मतदान दलों की बसे यहां होगी

बैहर विधानसभा के दलों को ले जाने वाले बसें बिसेन डोर हॉउस के पास टेम्भरे मैदान में होगी। दल पॉलीटेकनिक कॉलेज के गेट क्रमांक-4 से गायखुरी-नवेगांव होकर बूथ की ओर रवाना होंगे। परसवाड़ा विधानसभा की बस टेम्भरे मैदान व सेन चौक से विवेक ज्योति स्कूल की तरफ रोड के एक तरफ बायीं ओर रहेगी। जबकि दल गेट क्रमांक 3 से गायखुरी नवेगांव डेंजर रोड होकर बूथ की ओर रवाना होंगे। लांजी की बसें पॉलीटेकनिक महाविद्यालय छात्रावास में रहेगी।दल पॉलीटेकनिक कॉलेज से सामग्री लेकर अम्बेडकर चौक बैहर रोड बायपास होकर रवाना होंगे। वहीं बालाघाट, वारासिवनी और कटंगी विधानसभा की ओर जाने वाली बसे जागपुर घाट मैदान पर होगी। दल पॉलीटेकनिक कॉलेज के गेट क्रमांक-2 से होकर निकलेंगे। बस अम्बेडकर चौक अथवा डेंजर रोड होकर बूथों की ओर रवाना होगी।

मतदान दलों को रेण्डमाइजेशन से मतदान केंद्र हुए आवंटित

गुरुवार को वीसी कक्ष में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक शुभकरण सिंह व जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में मतदान दलों का रेंडमाइजेशन किया गया। मानव संसाधन नोडल अधिकारी पीएन चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी अनुसार 1675 मतदान केंद्रों के लिए इतने ही दलों सहित 168 रिजर्व पोलिंग पार्टियों का रेंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान उपजिला निर्वाचन अधिकारी केसी ठाकुर उपस्थित रहे। जिले में 24 पिंक बूथ, 733 मिक्स बूथ जहां पुरुष पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी-1 और महिला मतदान अधिकारी- 2 व 3 रहेगी। 918 पूरी तरह पुरुष अमले द्वारा मतदान कराया जाएगा। जबकि 6 पीडब्ल्यूडी बूथ बनाए गए है, जिन पर सभी दिव्यांग पुरुष मतदान कराएंगे। इससे पूर्व बरघाट व सिवनी विधान सभा के लिए राजनीतिक दलों की उपस्थिति में रिजर्व मशीनों का भी रेंडमाइजेशन किया गया। इसमें बरघाट विधान सभा के लिए 1 सीयू और 3 वीवीपेट तथा सिवनी के लिए 2 बीयू, 3 सीयू और 10 वीवीपेट का रेंडमाइजेशन किया गया।

माँ दुर्गा मंदिर में 19 कलशों की स्थापना कर मनाया नवरात्रा पर्व

लालबर्रा (स्वतंत्र मत)।

लालबर्रा नगर मुख्यालय से करीब 15 किमी. दूर स्थित ग्राम जाम में चैत्र नवरात्रा पर्व हिन्दु धर्मावलंबियो द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल के साथ मनाया जा रहा था। जहा गाँव के माँ दुर्गा माता मंदिर में 19मनोकामना कलशो की पूरे विधि-विधान के साथ स्थापना की गई। जहा प्रातः काल से ही भक्तजनो द्वारा पूजन अर्चन कर माता रानी के समक्ष फूल प्रसाद अर्पित कर मातारानी के आर्शिवाद प्राप्त करते है और रोजाना भक्तिमय माहौल में लीन होकर धर्मलाभ अर्जित कर रहे है। जानकारो ने बताया कि ग्राम जाम में चैत्र नवरात्रा पर पूरे गाँव में मातारानी की जयकारे की जाती है और मातारानी का भक्तजन आर्शिवाद प्राप्त कर धर्मलाभ अर्जित कर रहे है। चैत्र नवरात्रा के अंतिम दिन मा दुर्गा मंदिर से 19 कलशो की शोभायात्रा के साथ गांव में रैली निकालकर भक्तजनो द्वारा माता रानी के जयकारो के साथ गांव का भ्रमण कर गांव के ही टांका तालाब में कलशो का विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया।

इस दौरान प्रमुख्य रूप से समिति अध्यक्ष संतोष लिल्हारे राजकुमार हीरापुर, ग्राम सरपंच सुरेन्द्र बलोने, योगेश लिल्हारे डुलीचंद नगपुरे, देवराज खैरवार पंडा, देवराज ठकरेले, नरेंद्र तरवारे विनोद महोबे, सौरभ लिल्हारे राजकिरण शाकुरे,अशोक भिमटे, विकास मेश्राम, अंकित तरवारे कविता लिल्हारे मामत मेश्राम वर्षासौरभ लिल्हारे, अनिता लिल्हारे, चंद्रप्रभा लिल्हारे नूतन लिल्हारे अनसूया मेश्राम, एवं दुर्गा समिति के सभी पदाधिकारी सहित महिलाए एवं भक्तजन सैकड़ो की संख्या में शामिल रहे।

गर्रा निवासी संजय बिसेन के घर विद्युत विभाग उड़नदस्ता ने की कार्यवाही

बालाघाट (स्वतंत्र मत)। औद्योगिक नगरी गर्रा मशीन टोला निवासी संजय नत्थू बिसेन के घर बीते कल मध्यप्रदेश विद्युत विभाग के उड़नदस्ते ने कार्यवाही करते हुए बताया कि घर में दो-चार बल्ब, पंखा तथा आधे एच.पी. की मोटर डारेक्ट लाईन खिंचते हुए अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाया गया हैं तथा हमारे द्वारा पंचनामा कार्यवाही की गई हैं। जिसमें घर मालिक ने पंचनामा कार्यवाही पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। वहीं विभाग ने कहा हैं कि अग्रिम कार्यवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

मिली जानकारी अनुसार संजय बिसेन के द्वारा गर्रा में राईस मिल का संचालन किया जा रहा था, लगभग एक वर्ष पूर्व विद्युत विभाग ने राईस मिल तथा घर का कनेक्शन काट दिया था। चार लाख रूपये बिजली बिल बकाया होने के चलते कनेक्शन काटा गया था किन्तु घर मालिक के द्वारा अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। उड़नदस्ते ने पंचनामा कार्यवाही की।

नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के लिये आयोजित हुई प्रीसिटिंग

सिवनी। अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र रॉय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के मार्गदर्शन में तथा श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के द्वारा 16 अप्रैल 2024 को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी में दोपहर 12.00 बजे प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के द्वारा आगामी आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले समस्त प्रकार के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों की समीक्षा कर अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण किये जाने के संबंध में अधिकारीगण से चर्चा की गई। बैठक में श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी, श्री दीपक शर्मा मैनेजर लीड बैंक आफिस सिवनी, श्री मस्तराम परते , राजस्व उपनिरीक्षक सिवनी, श्री हरि नारायण धारकर लेखाधिकारी दूरसंचार विभाग सिवनी उपस्थित रहे।

उकवा में चैत्र नवरात्र पर्व मनाया गया

उकवा (स्वतंत्र मत)।

सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति उकवा बस्ती में चैत्र नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है, इस नवरात्रि पर्व में विशेष रूप से कलश एवम माता जी के जवारे की पूजा की जाती है। दुर्गा मंदिर में कुल 22 कलश भक्तों के द्वारा स्थापित किए गए। सुबह शाम माता जी की पूजा अर्चना एवम विशाल भंडारे का आयोजन समिति एवम भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। 17 अप्रैल को नवमी के उपलक्ष में हवन,पूजन,कन्या भोज तथा जवारे का विसर्जन शाम 6 बजे मंदिर के पुजारी बबला महाराज एवं शंकर पंडा द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु ग्राम वासियों एवम समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, उपाध्यक्ष आकाश अग्रवाल, तरुण रावल, मानसिंह धुर्वे, मुकेश गोयल,घनश्याम गन्नू अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल, श्रीमती अंबिका क्षत्रिया, श्रीमती छाया खेरवार, शारदा सगरराने, श्रीमती ममता धुर्वे, कुमारी विधा बिसेन, श्रीमती शशि चंदा अग्रवाल,कुमारी अंकिता पवन अग्रवाल, कुमारी स्वरा यादव, श्रीमती निर्मला राउत, दीपक मानसिंह धुर्वे, निलेश चैतन्य प्रसाद अग्रवाल एवं समस्त ग्राम वासी उपस्थित थे।

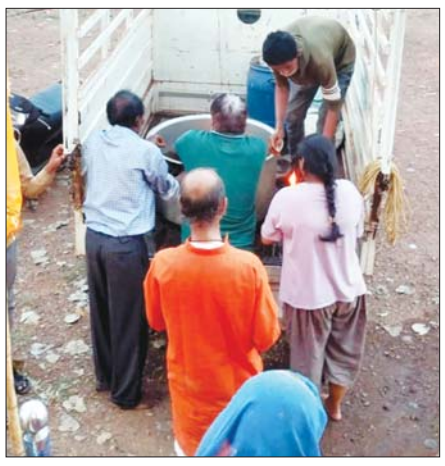

सरस्वती शिशु मंदिर हायर सैकेण्डरी स्कूल भैरोगंज में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

सिवनी अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी श्रीमान सतीश चंद्र राय के मार्गदर्शन एवं श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के निर्देशन में श्रीमती तनु गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी एवं श्रीमती अर्चना यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी के द्वारा 16 अप्रैल 2024 को सरस्वती शिशु मंदिर हायर सैकेण्डरी स्कूल भैरोगंज सिवनी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना एवं बाल अपराध एवं पास्को एक्ट के विषय में जानकारी प्रदान की गई।

कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने बैठक लेकर दिए दिशा-निर्देश

सिवनी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल एवं पुलिस अधीक्षक श्री राकेश सिंह ने मंगलवार 16 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारियों की बैठक लेकर लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के परिपेक्ष्य में की जाने वाली कार्यवाही को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंघल द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों अनुसार मतदान के 72 घंटे तथा 48 घंटे पूर्व की सभी कार्यवाही समय सीमा में प्रभावी रूप से संपन्न की जाए। जिले में धन-बल के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए जोनल एवं पुलिस अधिकारी संवेदनशील क्षेत्रों का संयुक्त सतत निरीक्षण करें तथा कहीं से भी कोई शिकायत आने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री सिंघल एवं पुलिस अधीक्षक श्री कुमार द्वारा अंतर्राज्यीय चैक पोस्ट खवासा एवं तेलिया के साथ-साथ सभी चैक पोस्टों में सघन जांच कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी प्रवेश मार्गों से आने वाले वाहनों की सूक्ष्मता से जांच करते हुए नगदी के साथ-साथ नशीले पदार्थों, कीमती वस्तुओं तथा शराब का परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।कलेक्टर श्री सिंघल द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 17 अप्रैल शाम 06 बजे के उपरांत जिले में पूरी तरह से चुनावी प्रचार-प्रसार एवं रैलियों का आयोजन न हो यह सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित मात्रा से अधिक तथा बिना अनुमति के राजनैतिक वाहनों की जप्ती की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ-साथ मतदान के 48 घंटे पूर्व स्टार प्रचारकों को निर्वाचन क्षेत्र छोडने के आदेशों का भी सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। धर्मशाला, रेस्टहाउस, विश्राम गृहों का संयुक्त निरीक्षण किया जाए। इसी तरह उन्होंने कंट्रोल रूम एवं सीविजिल पोर्टल कमाध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी तत्परता से निराकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।

मतदाता जागरूकता गतिविधि अंतर्गत निकाली गई चूनर यात्रा

सिवनी। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी श्री नवजीवन विजय के मार्गदर्शन मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप प्लान) अंतर्गत जनपद पंचायत केवलारी में बैलगाडी, ट्रेक्टर के साथ अखंड चुनर रैली निकालकर मतदाताओं से हस्ताक्षर कराए गए। उक्त रैली जनपद पंचायत केवलारी प्रांगण से होकर आवास कलोनी, कार्यालय उत्कृष्ट विद्यालय, चांदनी चैक, बस स्टैंड होते हुए वापस उत्कृष्ट विद्यालय के ग्राउंड में समाप्त हुई। रैली के माध्यम से मतदाता जागरूकता नारों, मानव श्रृखला एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं मतदान करने हेतु आमजनों को जागरूक किया।

बचपन प्ले स्कूल की लूट को खुली छूट, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के आदेशों का नहीं कर रहे पालन

बच्चों को चिन्हित दुकान से किताबें, गणवेश खरीदने के लग रहे आरोप

केवलारी

नए शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ ही जिले में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी शुरू हो गई है । स्कूल और दुकानदारों के गांठ जोड़ ने अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है ।अब आप समझिए कि यह बोझ कैसे डाला जा रहा है। नियमों के खिलाफ होने पर भी प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स से बच्चों की कॉपी किताबें गणवेश चिन्हित बुक स्टोर से ही खरीदने को बोल रहे हैं ।निर्धारित दुकान पर कापी किताबों के मनमानी तरीके से दाम वसूले जा रहे हैं। नतीजा यह है कि एक ही क्लास की कॉपी किताब 5000 से लेकर 10000 रुपए तक मिल रही है।मामला सिवनी जिले के केवलारी मुख्यालय के बचपन प्ले स्कूल का हे जहां स्कूल प्रबंधन ने अपने नोटिस बोर्ड पर अभिभावकों के लिए एक नोटिस चस्पा किया है जिसमे स्कूल की ड्रेस के संबंध में स्कूल पर आकर या कार्यालय के दूरभाष पर संपर्क करने की बात लिखी गई है। इसके साथ ही पुस्तक लेने हेतु पारस बुक डिपो नामक दुकान का नाम अंकित कर दिया है। जहां स्कूल में चलाई जा रहीं बुक स्कूल के बच्चों को इसी दुकान से खरीदने का दबाव बनाएं जाने के आरोप परिजन लगा रहे हैं। वहीं इस स्कूल में हर वर्ष पाठ्यक्रम बदला जाता है जिससे बच्चे पुस्तकें न बदल सकें और स्कूल प्रबंधन और दुकानदार को लंबा मुनाफा हो सके।आंखें बंद कर बैठा प्रशासनदिक्कत यह भी है कि प्राइवेट स्कूल जानबूझकर अलग-अलग महंगे पब्लिशर्स की किताब सिलेबस में रखते हैं जिससे निश्चित बुक दुकान के अलावा वह बाजार में किसी अन्य दुकान पर मिलती ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कैसे हो रहा है पूरी कहानी के पीछे का राज यह है कि प्रशासन का आंख बंद करके बैठा है और प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी की जगह अन्य दूसरे पब्लिशर्स की महंगी किताबें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कमीशन की वजह से हर साल बदलता है सिलेबसपरिचित कहीं एक दूसरे से पुस्तकों का आदान-प्रदान न कर लें इसके लिए स्कूल प्रबंधन हर साल सिलेबस में फेर बदल करता है ताकि हर साल बच्चों को नई किताबें खरीदनी पड़े। इन किताबों से सीधे स्कूलों को कमीशन जाता है। कमीशन का यह खेल इतना बड़ा है कि सरकारी आदेश के बाद भी ये प्राइवेट स्कूल एनसीईआरटी की बुक नहीं चला रहे हैं।फिक्स दुकानों से खरीदकर लुट रहे अभिवावकआपको जानकारी के लिए बता दें केवलारी नगर में बचपन प्ले स्कूल के बच्चों को पारस बुक डिपो से पुस्तक लेने हेतु दबाव बनाया जाता हे। स्कूल के पोस्टर में ही स्कूल की किताबे खरीदने हेतु दुकान के नाम का प्रकाशन कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन की इस करतूत के बाद नगर में बचपन प्ले स्कूल की जमकर आलोचना हो रही हे।मुख्यमंत्री के आदेश का नही किया पालनप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए 1 अप्रैल को एक बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम ने यह आदेश दिया है कि अब प्राइवेट स्कूल किसी निर्धारित दुकान से ही किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी शिक्षण सामग्री खरीदने का दबाव अभिभावक पर नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत मिली, तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव को इस संबंध में आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को यह पत्र जारी कर दिया है। अगर कोई स्कूल मनमानी करता है तो उसके खिलाफ मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।उल्लंघन करने पर इस धारा में दर्ज होगा आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, स्कूल प्रिंसिपल, मैनेजर के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि इसके साथ ही संचालकों की मनमानी पर धार-144 के तहत बंदिश भी लगाई है।अब देखना होगा मामला सार्वजनिक होने के बाद शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के आदेशों पर कितना अमल करता है।इनका क्या कहना है - हमारे द्वारा बचपन प्ले स्कूल के प्राचार्य के नाम नोटिस दे दिया गया है। 2 दिवस के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्यवाही की जाएगी।.